International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 02(II), April - June, 2022, pp. 184-190

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

मोहम्मद जावेद खान*

सार

भारत में, प्रगति हो रही है और वैश्वीकरण के आगमन के साथ, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उन्हें उन समस्याओं और चुनौतियों की एक कुशल समझ हासिल करने में सक्षम बनाती है, जिन्हें देश को प्रगति की ओर ले जाने के कार्य करेगा। जब महिलाएं राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, तो उनके लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्हें समग्र रूप से समुदाय और राष्ट्र की भलाई को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों और दृष्टिकोणों के बारे में पता होना चाहिए। इस शोध पत्र में मुख्य क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है, राजनीतिक भागीदारी का अर्थ और महत्व, राजनीति में महिलाओं की भागीदारीरू ऐतिहासिक ढांचा, राजनीतिक भागीदारी के तरीके, राजनीतिक भागीदारी के चर, माप की रूपरेखा, राजनीतिक के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भागीदारी और सिफारिशें इनमें शामिल है।

शब्दकोशः *भेदभाव, अधिकारिता, पंचायत, राजनीतिक भागीदारी, समाज।*

प्रस्तावना

लोकतंत्र सभी व्यक्तियों पर समान आधार पर लागू होता है। भारत में, सभी नागरिकों को, उनकी पृष्ठभूमि और श्रेणियों के बावजूद, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जो उन्हें राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाते हैं। महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से बाहर रखा गया है और उनके साथ हर समाज में भेदभाव किया जाता है। अमीर उच्च जाति के परिवारों की तुलना में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार अधिक है। महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से भी बाहर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सच्ची लोकतांत्रिक भावना की प्राप्ति के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करना सार्थक और प्रभावी माना जाता है और इसकी शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए (अध्याय III, n.d.)।

राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा करना और विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सूचनात्मक होना महत्वपूर्ण है। अच्छा निर्णय लेना, उन क्षेत्रों का विश्लेषण करना , समुदायों और राष्ट्र की भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए काम करना शामिल है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक उद्देश्य इस उद्देश्य की पूर्ति करना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कारण भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है। संशोधन ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं के अध्यक्षों के लिए सीटों और पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिन्हें पंचायत कहा जाता है। ग्रामीण भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पर दूरगामी आक्षेपों और महत्वपूर्ण परिणामों के संदर्भ में इसे ऐतिहासिक कदम माना जाता है (अध्याय III, n.d.)। समग्र रूप से समुदायों और राष्ट्र के प्रचालनात्मक विकास के लिए, महिलाओं के लिए अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है।

• शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

राजनीतिक भागीदारी का अर्थ और महत्व

किसी भी समाज या व्यक्तियों के वर्ग की राजनीतिक भागीदारी के अर्थ और महत्व की समझ प्राप्त करते समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा है या नहीं। व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और सीमा को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों गुणों के संदर्भ में नियंत्रित किया जा सकता है। असमानताओं के प्राकृतिक कारकों पर काबू पाना व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन मानव निर्मित असमानताओं का मुकाबला करना संभव है और यह केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाने और उनका पालन करके किया जाता है। लोकतंत्र के स्तंभ, जैसे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और आगे, मानव निर्मित असमानताओं के परिणामस्वरूप चुनौतियों और समस्याओं से अभिभूत व्यक्तियों को सहायता, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। इस प्रकार राजनीतिक भागीदारी की प्रभावी समझ हासिल करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना महत्वपूर्ण है (अध्याय III, n.d.)।

लोकतांत्रिक मूल्यों की उपस्थिति को भागीदारी और सशक्तिकरण की अधिकतम सीमा की प्राप्ति के लिए पूर्वापेक्षा माना जाता है। सशक्तिकरण को दूसरों पर हावी होने की शक्ति की उपलब्धि के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि यह परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए दूसरों के साथ कार्य करने की शक्ति है। राजनीतिक भागीदारी सशक्तिकरण का प्रमुख घटक है। सामान्य तौर पर, इसे समाज के सदस्यों की स्वैच्छिक गतिविधियों के रूप में माना जाता है, मुख्य रूप से शासकों के चयन और सार्वजनिक नीति के निर्माण में। चूंकि, संप्रभुता को लोकतंत्र की अविभाज्य विशेषताओं के रूप में माना जाता है, भाग लेने का अधिकार लोकतांत्रिक सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अंतर्निहित अधिकार है। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रभावी विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी को अपरिहार्य माना जाता है (अध्याय III, n.d.)। राजनीतिक भागीदारी व्यक्तियों को दक्षता, परिश्रम, साधन संपन्नता और कर्तव्यनिष्ठा के गुणों को विकसित करने में सक्षम बनाती है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारीः ऐतिहासिक रूपरेखा

भारत में महिलाओं की स्थिति ने प्राचीन काल से कई उतार–चढ़ाव देखे हैं। प्राचीन इतिहास में उन्हें सम्मान और समान व्यवहार दिया जाता था। लेकिन मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आई है। इस अवधि में, उन्हें कई रीति–रिवाजों और परंपराओं का पालन करना आवश्यक था, जैसे कि पर्दा प्रथा, सती, बाल विवाह आदि। स्वतंत्रता के बाद के भारत में, महिलाओं की स्थिति ने अपनी ताकत वापस पा ली और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। महिलाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक में भाग लेना शुरू कर दिया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। शिक्षा के महत्व की मान्यता ने उन्हें डॉक्टर, वकील, शोधकर्ता, शिक्षक, शिक्षाविद, निदेशक, प्रशासक आदि जैसे पेशेवर बना दिया है। महिलाओं की भूमिका को मुख्य रूप से गृहस्थ के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन, घर के कामों के कार्यान्वयन के अलावा, वे समुदाय और राष्ट्र की प्रगति और विकास में भी प्रभावी योगदान दे रहे हैं।

महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सच्ची भावना और अडिग दुस्साहस और साहस के साथ भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उन्हें शोषण, विपत्तियों और संकटों का सामना करना पड़ा। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी शामिल थी और उन्होंने चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए आपस में योग्यता विकसित की। भारतीय महिलाएं, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, शुरू में शिक्षित और उदार परिवारों से थीं। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के आगमन के साथ इस परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन लाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल थे। इसके अलावा, इस दृष्टिकोण का प्रचलन था कि देश सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, यदि सभी वर्ग प्रभावी रूप से भाग नहीं लेंगे। शाही शासन के खिलाफ उनका सबसे सफल अभियान नमक कर के मुद्दे पर लड़ा गया, जिसने महिलाओं को सबसे आगे लाने में योगदान दिया।

महिला आरक्षण का मुद्दा 1973 में अस्तित्व में आया। कम से कम एक तिहाई सीटों पर महिलाओं के आरक्षण के मामले में आवाजें उठ रही हैं। आखिरकार, 1993 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की उपेक्षा को दूर करने के लिए ग्राम स्तर पर वैधानिक ग्राम पंचायतों की सिफारिश की गई। महिला आरक्षण विधेयक या संविधान (108वां संशोधन विधेयक) भारत में एक लंबित विधेयक है। जिसमें संसद के निचले सदन और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। बारी–बारी से आरक्षित की जाने वाली सीटों का निर्धारण ड्रॉ द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि एक सीट लगातार तीन आम चुनावों में केवल एक बार आरक्षित की जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा में पारित किया गया था। लेकिन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर कुछ क्षेत्रीय दलों के प्रतिरोध के कारण लोकसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया जा सका।

भारतीय संविधान ने 1993 में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों की स्थापना, शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान किए, जिसमें हर राज्य में तीन स्तरीय प्रणाली, यानी पंचायत, गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर ग्राम शासन निकाय शामिल थे। राज्यों ने पंचायतों की संरचना के लिए कानून के माध्यम से सशक्तिकरण के अवसर हासिल किए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नेतृत्व के पदों का प्रावधान किया। राज्य सरकार को कुछ कानूनों और प्रक्रियाओं को तैयार करने का भी अधिकार है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि कानून में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, स्थानीय स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की संख्या के रिकॉर्ड के रखरखाव की दिशा में काम कर रहा है और आंकड़े बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 30 से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं।

भारत में महिलाओं का जीवन मुख्य रूप से उन कारकों पर केंद्रित है, पितृसत्ता, उत्पादक संसाधन, गरीबी, पदोन्नति और शक्तिहीनता के रूप में माना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि महिलाओं को दो–तिहाई काम में लगाया जाता है। जबकि, अपने काम के बदले में, वे सभी आय का केवल 10 प्रतिशत प्राप्त करते हैं और वैश्विक स्तर पर उत्पादन के साधनों का केवल एक प्रतिशत हिस्सा लेते हैं (भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, एन.डी.)। महिलाएं विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के कार्यान्वयन में लगन से काम करती हैं। उनका काम घर पर अवैतनिक है, जबकि, घर के बाहर कम भुगतान किया जाता है, खासकर अल्पसंख्यक नौकरियों में। अल्पसंख्यक नौकरियों में, महिलाओं को ज्यादातर हाथ से काम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वे पूर्णकालिक आधार पर मैनुअल नौकरियों में कार्यरत होते हैं, तब भी उनका वेतन कम होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि वे नौकरी के कर्तव्यों के कार्यान्वयन में पूरे दिल से भाग लेते हैं।

राजनीतिक भागीदारी के तरीके

राजनीतिक भागीदारी की अवधारणा में काफी हद तक सुधार शामिल हैं। ऐसे परिवर्तनों और परिवर्तनों का राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न तरीकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सरकार और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए नागरिक विभिन्न और वैकल्पिक तरीकों से भाग लेते हैं। राजनीतिक भागीदारी के वैकल्पिक तरीके नागरिकों की श्रेणियों और पृष्ठभूमि पर निर्भर हैं, जो भाग लेते हैं। भागीदारी के तरीके और प्रणाली पर जितना दबाव डाला जा सकता है, उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को उचित तरीके से व्यवहार में लाना है। इसलिए, राजनीतिक भागीदारी को मतदान से अधिक और चुनावी प्रणाली में गतिविधि से अधिक के रूप में संदर्भित किया जाता है। ज्यादातर मामलों में, राजनीतिक बैठकों या रैलियों में उपस्थिति, एक पार्टी के लिए काम करने, एक मौद्रिक योगदान देने या सार्वजनिक कार्यालय की तलाश (अध्याय III, n.d.) के संदर्भ में प्रश्न सामने रखे जाते हैं।

हालांकि, राजनीतिक भागीदारी के वैकल्पिक तरीके नागरिकों की श्रेणियों पर निर्भर हैं, जो भाग लेते हैं। दस प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं, कार्य करना या सार्वजनिक या पार्टी कार्यालय रखना, किसी पार्टी या अन्य राजनीतिक संगठन से संबंधित, चुनाव में काम करना, राजनीतिक सभाओं या रैलियों में भाग लेना, पार्टी या पार्टी को वित्तीय योगदान देना। उम्मीदवार, एक सार्वजनिक अधिकारी से संपर्क करना, दूसरों को समझाने के लिए सार्वजनिक रूप से एक राय व्यक्त करना, राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेना, मतदान करना और खुद को राजनीतिक उत्तेजनाओं के लिए उजागर करना। राजनीतिक भागीदारी राजनीति उत्पन्न करती है। दूसरे शब्दों में, राजनीति राज्य या देश के भीतर व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से होती है। पूर्व राजनीति का निर्माण और निर्धारण करता है, इसलिए, यह व्यक्तियों और राष्ट्र दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, राष्ट्र की राजनीति राजनीतिक भागीदारी और उसकी सभी प्रक्रियाओं (अध्याय III, n.d.) द्वारा निर्धारित होती है।

राजनीतिक भागीदारी के चर

राजनीतिक भागीदारी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करके अकेलेपन और एकांत को कम करने में सक्षम बनाती है। एक प्रभावी राजनीतिक भागीदारी प्रदान करने के लिए, व्यक्तियों को अपना मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है, तो वे न केवल अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम होते हैं, बल्कि अन्य व्यक्तियों के साथ संचार संबंधों को सामाजिक गतिविधियों द्वारा अकेलेपन को भी कम करते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो राजनीतिक मामलों में बहुत अधिक चिंतित और रुचि रखते हैं और साथ ही, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जिन्हें राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। यह अंतर उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण है। व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक वातावरण का विकास उनकी मानसिकता के आधार पर होता है। व्यक्ति रुचि विकसित करते हैं और अपनी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में भाग लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह माना जाता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष राजनीति में अधिक शामिल होते हैं।

सामाजिक–आर्थिक वातावरण

व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक–आर्थिक वातावरण के बीच सीधा संबंध है। जब व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों और कार्यों में शामिल हो रहे होते हैं, तो सामाजिक–आर्थिक कारकों का उनके कार्यों पर काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक–आर्थिक चर में शिक्षा, व्यवसाय, आय, आयु, जाति, पंथ, नस्ल, जातीयता, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि शामिल हैं। उच्च व्यावसायिक और आय समूहों के बेहतर शिक्षित सदस्यों, मध्यम आयु वर्ग, प्रमुख, जातीय और धार्मिक समूहों, राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों, बसे हुए निवासियों, शहरी निवासियों और स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों के संदर्भ में राजनीतिक भागीदारी अधिक होती है। हालाँकि, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक–आर्थिक वातावरण के बीच संबंध संस्कृति, सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, सिद्धांतों और मानकों के संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं। वे राजनीतिक संदर्भों के संदर्भ में भिन्न हैं और राजनीतिक भागीदारी पर उनका प्रभाव स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए, वे समय के साथ परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं।

राजनीतिक वातावरण

विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के कार्यान्वयन में राजनीतिक वातावरण को काफी हद तक महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक परिवेश के कारक हैं, दल प्रणाली की प्रकृति, चुनावी प्रणाली, प्रचार और अभियान के साधन, आधुनिकीकरण और शहरीकरण की सीमा, विचारधारा का प्रभाव, व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना, आधुनिक और नवीन तकनीकों का उपयोग और तरीके आदि। इसलिए, समाज के भीतर हो रहे परिवर्तनों और परिवर्तनों के साथ, व्यक्तियों को इन पहलुओं के संदर्भ में अद्यतन रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक भागीदारी को सुगम बनाने में राजनीतिक दल सबसे शक्तिशाली साधन है। प्रचार और चुनाव अभियान राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल करने के लिए किए गए प्रयासों को संदर्भित

करते हैं। लोकतंत्र और आधुनिकीकरण की उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए राजनीतिक भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। पारंपरिक समाज में, सरकार और राजनीति को संकुचित अभिजात वर्ग की चिंताओं के रूप में माना जाता है।

मापन ढांचा

माप ढांचे का विश्लेषण करते समय, उन पहलुओं की समझ हासिल करना महत्वपूर्ण है जो महिलाओं की भलाई के लिए आवश्यक हैं। इनमें शामिल हैं, भारतीय चुनावी ढांचे का परिचय, भारत में चुनावी आंकड़े, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और महिला समूहों का विकास इसमें शामिल हैं।

भारतीय चुनावी ढांचे का परिचय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें शासन संरचना तीन परतों से युक्त है। ये हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहर या गांव सरकार। इन तीनों का चुनाव चुनाव आयोग के स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाता है, जिसका गठन केंद्र और राज्य स्तर पर अलग–अलग होता है। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार का मुखिया, भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य, दो को छोड़कर, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है, सीधे आम चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं, जो हर पांच साल में एक बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा हो सकते हैं। भारत में, पहले चुनाव के बाद से महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। राज्यसभा के सदस्य, भारतीय संसद के ऊपरी सदन, एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों शामिल होते हैं। इसी तरह की संरचना भारत के विभिन्न राज्यों में रखी गई है, जिसमें दो निकाय शामिल हैं, जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता है। क्रमिक केंद्रीय और राज्य चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में महिलाओं का प्रतिनिधि है, जब चुनावों में भाग लेने की बात आती है, लेकिन इसमें विधायिका और कार्यपालिका में महिलाओं की भागीदारी का काफी अभाव है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के साथ शासन का एक तीसरा स्तर बनाया गया। इसने स्थानीय स्तर की योजना के लिए नए अवसरों का प्रावधान करने और देश के भीतर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी में मदद की ।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को तीन पहलुओं के संदर्भ में ध्यान में रखा जा सकता है। मतदाता के रूप में उनकी भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी। जब इन पहलुओं को उचित तरीके से व्यवहार में लाने की आवश्यकता होती है, तो महिलाओं के पास कुछ कौशल और क्षमताएं होने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में, राजनीति में शामिल महिलाएं उच्च शिक्षित नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण कारकों के संदर्भ में अद्यतन रहना महत्वपूर्ण है। इस मामले में, महत्वपूर्ण कारक हैं, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की सामाजिक समस्याओं को कम करना। मुख्य रूप से गरीबी से पीड़ित और समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को बेहतर आजीविका के अवसर अर्जित करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

भारत में, पूरे देश में, महिलाओं को पुरुषों के समान व्यवहार नहीं दिया जाता है। उन्हें पुरुषों की तुलना में, घर के भीतर, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी हीन स्थिति में माना जाता है। यह असमानता समाज के वंचित, हाशिए पर पड़े और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित की गई है। इसलिए, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को समान व्यवहार देना है, न कि उनके साथ भेदभाव करना। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक और हिंसक कृत्यों की घटनाओं को रोकने के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी का एक और पहलू है। पूरे देश में, उन्हें विभिन्न प्रकार के आपराधिक और हिंसक कृत्यों के अधीन किया गया है, जैसे, मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, एसिड हमले आदि, जिसने समाज के भीतर उनकी स्थिति को खराब कर दिया है।

महिला समूहों का विकास

महिलाओं के समूहों के विकास को उनके बीच सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य कारकों में से एक माना जाता है। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुख्य रूप से समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों से संबंधित महिलाएं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हैं। समाज, क्षेत्र या देश के प्रभावी विकास और विकास के लिए महिलाओं के बीच सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। लगभग 70 लाख महिलाएं, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य हैं, इस बदलाव से लाभान्वित होंगी। वर्ष 2001 में, मिशन शक्ति परियोजना का विकास हुआ है। राज्य के भीतर कोई बस्ती नहीं है, बिना मिशन शक्ति समूह के। लगभग हर दूसरे घर में एक सदस्य होता है, जो मिशन शक्ति का हिस्सा होता है। वर्तमान अस्तित्व में, एक आंदोलन में परिवर्तन हो गया है।

महिला समूहों के विकास ने न केवल महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि उन्हें जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सक्षम बनाया है। जब महिला समूहों के विकास या महिलाओं के सशक्तिकरण के अवसरों पर जोर दिया जाता है, तो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति में रहने वाली महिलाएं और लड़कियां, जो शिक्षित नहीं हैं, किसी भी रोजगार में नहीं लगी हैं और केवल घरेलू जिम्मेदारियों को लागू करने की आवश्यकता है, जिन्हें जागरूक और सूचनात्मक बनाने की आवश्यकता है

राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

वर्तमान अस्तित्व में, महिलाओं के बीच सशक्तिकरण के अवसरों को लाना एक प्रमुख चिंता का विषय माना जाता है। यह विशेष रूप से समाज के वंचित, हाशिए पर और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्तियों को स्वयं के साथ–साथ अन्य चिंताओं के संदर्भ में बोलने का अवसर देने का एक तरीका है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि सरकार विधायी उपायों और कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा लोगों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाए। सशक्तिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके द्वारा अशक्त या शक्तिहीन व्यक्ति परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसका परिणाम जीवन स्थितियों में शक्ति संतुलन में परिवर्तन के साथ–साथ दूसरों के साथ प्रभावी नियम और संबंध बनाए रखने में होता है (फादिया, 2014)।

राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, महिलाओं को समान दर्जा देना, उन्हें अधिकारों और अवसरों का प्रावधान करना, विशेष रूप से उनकी आजीविका के अवसरों को समृद्ध करना, जैसे, शिक्षा का प्रावधान करना और उन्हें रोजगार सेटिंग्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें अपने निर्णय लेने और विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि घरेलू प्रबंधन, बाल विकास, स्वास्थ्य देखभाल आदि। भारत में, उपाय और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। ताकि वे बाहर जा सकें और विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में भाग ले सकें। इनमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शामिल हैं। सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त करने के लिए, महिलाओं के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध और संबंध बनाए रखना और उनकी सहमति और सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य या गतिविधियों में संलग्न होने पर परिवार के सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण समुदायों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने या विभिन्न अन्य कार्यों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। वे घर के भीतर ही सीमित हैं और घरेलू जिम्मेदारियों के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

सिफारिशों

राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सफलता और भागीदारी की प्राप्ति में परिवार मुख्य निर्धारक बना रहता है। पंचायत के कामकाज में परिवार की भागीदारी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता है। मतभेदों को कम करने के लिए, महिलाओं के बीच शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने की सिफारिश की जाती है। शिक्षा की कमी को उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है जो राजनीतिक भागीदारी के दौरान एक बाधा साबित होंगे। इसलिए, किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए, सभी आयु वर्ग की महिलाओं और लड़कियों के बीच शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समुदायों में भी, वयस्क शिक्षा केंद्रों और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है जो वयस्क पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता कौशल और शिक्षा को बढ़ा रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत में, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए आंदोलन में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। यह माना गया है कि महिलाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक ताकत में बदल रही हैं। राजनीतिक दल महिलाओं की जरूरतों और आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं, जिनकी आबादी 586.5 मिलियन है और लगभग 48.46 प्रतिशत मतदाता हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के उपायों की आवश्यकता है। जब महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में शामिल होती हैं, तो सकारात्मक पहलू यह है कि वे न केवल अपने जीवन में सुधार लाने में सक्षम हैं, बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने में भी सक्षम हैं। राजनीतिक वातावरण के चर हैं, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक–आर्थिक वातावरण और राजनीतिक वातावरण। मापन ढांचे का विश्लेषण करने में, शामिल किए जाने वाले मुख्य पहलू हैं, भारतीय चुनावी ढांचे का परिचय, भारत में चुनावी आंकड़े, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और महिला समूहों का विकास करना है।

महिलाओं के बीच सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ये हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के आपराधिक और हिंसक कृत्यों का उन्मूलन, उन्हें समान अधिकारों और अवसरों का प्रावधान करना, जाति, पंथ, नस्ल, धर्म जैसे कारकों के आधार पर उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार को कम करना। जातीयता, लिंग और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीनों स्तरों पर पीआरआई महत्वपूर्ण रणनीतिक और लैंगिक मुद्दों पर चर्चा करने और विचार–विमर्श करने के लिए जगह नहीं बने हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समर्थन की उपलब्धता के माध्यम से महिलाएं इन समस्याओं का उचित तरीके से सामना करने में सक्षम हैं। जब व्यक्तियों और समुदायों का देश की प्रगति के लिए नेतृत्व करने का मुख्य उद्देश्य होता है, तो महिलाओं के बीच सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक भागीदारी को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले मूलभूत उपायों में से एक माना जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. (अध्याय III, n.d.) भारत में राजनीतिक भागीदारी और महिलाएं। पुनः प्राप्त किया

❖◆❖